97/

संख्या: —— /XXXVI(1)/2016-155/2016

प्रेषक,

कहकशा खान,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री विवेक सिंह,
अधिवक्ता,
ए–51, प्रथम तल, डिफेन्स कॉलोनी,
नई दिल्ली–110024।

न्याय अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 26 अप्रैल, 2016

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु एडवोकेट ऑन रिकार्ड–सह–स्थायी अधिवक्ता के पद पर आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन ने आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकार्ड–सह स्थायी अधिवक्ता के पद पर आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है। किसी सिविल पद पर नियुक्ति नही है। इस आबन्धन को शासन द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है और आप भी इस आबन्धन को समाप्त कर सकते है।

3– आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–122/XXXVI(1)/2010–43–एक(1)/03 दिनांक 10.04.2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

(कहकशा खान)
अपर सचिव

संख्या:-210(1)/XXXVI(1)/2016-155/2016 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय को मा0 राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
5– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– ईरला चैक अनुभाग/वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
25.4.2016
(कहकशा खान)
अपर सचिव

c:\users\lenovo\documents\bhagwan yr 2016\appointment of lawyers in h.c & s.c\letters.docx